

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ जिला (राज.)

पीठासीन अधिकारी - आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 010/2024(गौवंश) (GCMS 2024/309)	दायर दिनांक 01.10.2024	निर्णय दिनांक 09.09.2025
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना शम्भुपुरा,
जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

- मोहम्मद हुसैन पिता मोहम्मद रफीक जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी बोटलगांज थाना पिपलियामण्डी जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश)।
- जगदीश पिता ब्रदीलाल (पारगी) भील उम्र 45 साल निवासी तीसगांव थाना सादलपुर जिला धारा (मध्य प्रदेश)

विपक्षीगण

उपस्थिति :- सहायक अभियोजन अधिकारी
चिराग त्यागी
अरविन्द व्यास

प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 1
अप्रार्थी संख्या 2

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6 'क' राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना शम्भुपुरा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पुलिस थाना शम्भुपुरा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 001/2023 दिनांक 03.01.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9 व 10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन MP 09 GH 2421 जिसके इंजन नंबर E424CDJB190148 चेचीस नंबर MC2F8LRC0JA138710 के निस्तारण बाबत अधिनियम 1955 की धारा 6 'क' के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 24.12.2024 को विपक्षी संख्या 1 की और से एवं दिनांक 26.03.2025 को विपक्षी संख्या 2 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।



पुलिस थाना शम्भुपुरा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 001/2023 दिनांक 03.01.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9 व 10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या MP 09 GH 2421 जिसके इंजन नंबर E424CDJB190148 चेचीस नंबर MC2F8LRC0JA138710 के संबंध में प्रार्थी जगदीश पिता बद्दीलाल (पारगी) भील निवासी तीसगांव थाना सादलपुर जिला धार (मध्य प्रदेश) जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497-503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके प्रकरण संख्या 074/2024 (रे.वि.) दर्ज रजिस्टर होकर लम्बित है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी वाहन का अधिकृत वाहन स्वामी है तथा पुलिस थाना शम्भुपुरा में वजह सबूत अपनी तहवील में ले रखा है, जिसका प्रार्थी एक मात्र अधिकृत वाहन स्वामी है। जब्तशुदा वाहन की पुलिस थाना शम्भुपुरा को कोई आवश्यकता नहीं है, उक्त वाहन की मासिक किश्ते प्रार्थी को उक्त वाहन से ही कमा कर अदा करनी होती है, यदि वाहन समय रहते नहीं छुटा तो प्रार्थी को अकथनीय आर्थिक क्षति होगी तथा प्रार्थी गरीब परिवार का है तथा उस पर परिवार की जिम्मेदारिया है एवं प्रार्थना की गई कि प्रार्थीया को जब्तशुदा वाहन को सिपुर्दगीनामें व जमानतनामा पर सिपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 497-503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना शम्भुपुरा चित्तौड़गढ़ से प्रार्थना-पत्र पर टिप्पणी/अभिमत प्राप्त किया गया। इस पर पुलिस थाना थानाधिकारी पुलिस थाना शम्भुपुरा जिला चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/2603 दिनांक 03.09.2025 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित किया गया है जो कि प्रकरण संख्या 074/2024(रे.वि.) में शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। थानाधिकारी पुलिस थाना शम्भुपुरा चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में जुर्म धारा 3, 5, 6, 8, 9 व 10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) नियम, 1955 में अपराध प्रमाणित पाये जाने से चार्जशीट संख्या 060/2023 दिनांक 10.07.2023 कता की गई है। वाहन के संबंध में कोई अनुसंधान शेष नहीं है।

हस्तगत दोनों प्रकरणों के पुलिस थाना शम्भुपुरा जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 001/2023 दिनांक 03.01.2023 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण का प्रश्न निहित है, ऐसी स्थिति उक्त दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। दोनो प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6 'क' के अनुसार इस अधिनियम के अधीन



दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश फरमाया जाकर जब्तशुदा वाहन को अधिहरण किया जावे।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी (प्रार्थना-पत्र 074/2024 (रे.वि.) द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी उक्त वाहन का अधिकृत स्वामी है। अधिनियम की धारा 6(क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सिपुर्दगी प्रार्थी को दी जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से कोई अवैध गौवंश का परिवहन नहीं किया जा रहा था, अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या MP 09 GH 2421 जिसके इंजन नंबर E424CDJB190148 चेचीस नंबर MC2F8LRC0JA138710 के आवश्यक दस्तावेज होने रिलीज करने का कृपा करावे। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(क) की उप-धारा (2) के तहत प्रवहन के साधन के स्वामी को जुर्माने का संदाय करने का विकल्प फरमाया जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की द्वारा बहस का चित्त मन से शांतिपूर्वक चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण में पुलिस रिपोर्ट अनुसार वाहन के दो पाटेशन कर रखे थे जिसमें दोनो पाटेशन के अंदर अवैध गौवंश ठूस-ठूस करके भरे हुए थे तथा सभी गौवंश बैल के चोटे आई हुई थी। कुल 40 गौवंश बैल, 19 गौवंश मृत व 21 जीवित भरे हुए थे। इसी कारण से अपराध धारा धारा 3, 5, 6, 8, 9 व 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) नियम, 1955 के अर्न्तगत होना दर्शित है। प्रार्थी द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन व बिना सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्टी होती है, जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी मौखिक बहस में उक्त तथ्यों को अस्वीकार कर गौवंश(बैल) के साथ में किसी भी प्रकार से कोई निर्दयता नहीं की गई है।

हमने संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधानों का चिंतन-मनन किया। हस्तगत प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना शम्भुपुरा द्वारा अवगत कराया गया है कि जब्तशुदा वाहन से कुल 40 गौवंश(बैल) बरामद किये गये है। जब्तशुदा वाहन के ट्रक के दौनों पार्टीशन के अंदर अवैध गौवंश, बैल ठूस-ठूस करके भरे हुए थे, जिनके सभी के पांव बंधे हुए थे। ऊपर के पार्टीशन में कुल 19 गौवंश बैल भरे हुए थे, जिनकी सभी की क्रूरता पूर्वक भर कर परिवहन करने से मृत्यु हो गई थी। तथा निचे के पार्टीशन में भरे हुए गौवंश बैल की गिनती की गई तो कुल 21 गौवंश बैल होना पाया गया जो सभी जिवित होकर सभी के पैर बंधे हुए होकर क्रूरता पूर्वक भर रखा था। तथा सभी गौवंश बैल के चोटे आई हुई थी। उक्त आईसर ट्रक में कुल 40 गौवंश बैल 19 गौवंश मृत व 21 जिवित भरे हुए है। जिवित गौवंश का मेडिकल व इलाज कराने व



मृत गौवंश का पोस्टमार्टम कराया गया, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के कथनों को स्वीकार किये जाने का पत्रावली पर कोई ठोस आधार नहीं है, ऐसी स्थिति में गौवंश को जबरदस्ती क्रूरतापूर्वक बूचड़खाने में कटने के लिए बेचने के लिए उक्त कृत्य किया जाना संभाव्य प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 एवं संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 6 'क' के अनुसरण इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होने से प्रकरण में जब्तशुदा वाहन का अधिहरण किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं हस्तगत प्रकरण के अप्रार्थी संख्या 2 जो कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन स्वामी है, एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जब्तशुदा वाहन को अपनी सिपुर्दगी में दिये जाने हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रकरण संख्या 074/2024(रे.वि.) है को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हस्तगत पुलिस थाना शम्भुपुरा जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 001/2023 दिनांक 03.01.2023 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9 व 10 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन के संबंध में प्रार्थी जगदीश पिता बद्रीलाल (पारगी) भील निवासी तीसगांव थाना सादलपुर जिला धार (मध्य प्रदेश) द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 497-503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 जिसके 074/2024 (रे.वि.) को खारीज किया जाता है एवं प्रकरण में जब्तशुदा वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन MP 09 GH 2421 जिसके इंजन नंबर E424CDJB190148 चेचीस नंबर MC2F8LRC0JA138710 को राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। जिलापरिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बाद गुजरने मियाद अवधि के जब्तशुदा वाहन थानाधिकारी पुलिस थाना शम्भुपुरा से वाहन MP 09 GH 2421 जिसके इंजन नंबर E424CDJB190148 चेचीस नंबर MC2F8LRC0JA138710 को प्राप्त कर नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जरिये निलामी के निस्तारण कर प्राप्त आय को राजकोष में जमा कराया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रार्थना-पत्र में शामिल पत्रावली किया जावे। निर्णय की प्रति जिला परिवहन अधिकारी चित्तौड़गढ़/इन्दौर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना शम्भुपुरा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **09.09.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
चित्तौड़गढ़

